

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
—:अधिसूचना:—

संचिका संख्या :-06/वि0पत्रा0-24-18/2023

पटना, दिनांक—

श्री रवि रंजन कुमार, तत्कालीन राज्य-कर सहायक आयुक्त (63वीं बैच), लखीसराय अंचल, लखीसराय सम्प्रति राज्य-कर सहायक आयुक्त, अन्वेषण ब्यूरो, भागलपुर प्रमण्डल, भागलपुर को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक-21.11.2023 से 18.01.2024 तक कुल 59 दिनों का उपार्जित अवकाश एवं बिहार सेवा संहिता के नियम 180 एवं 236 के तहत दिनांक-19.01.2024 से 25.09.2024 तक शेष 251 दिनों का असाधारण अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित श्री कुमार के पक्ष में देय उपार्जित अवकाश आदेयता में से उक्त अवकाश को घटाने के उपरान्त (59-59=00) (शून्य) दिनों का उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(ज्योति प्रकाश)

सरकार के अवर सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग

बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-06/वि0पत्रा0-24-18/2023

337

पटना, दिनांक- 23.01.25

प्रतिलिपि:-वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना-800015/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, भागलपुर/राज्य-कर अपर आयुक्त (प्र0), भागलपुर प्रमण्डल, भागलपुर/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी, एच0आर0एम0एस0, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्री रवि रंजन कुमार, राज्य-कर सहायक आयुक्त(63वीं बैच), अन्वेषण ब्यूरो, भागलपुर प्रमण्डल, भागलपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

1
23/01/2025

सरकार के अवर सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग,

बिहार, पटना।